वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा जशपुर जिले के जशपुर वनमण्डल अंतर्गत 4.245 हे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के अभिमत से सहमत होते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि 4.245 हे. व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 25/04/2020
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–830/792 नया रायपुर, दिनांक 27/04/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छ.ग. का जशपुर जिले के जशपुर वन मंडल में वन परिक्षेत्र तपकरा एवं पत्थलागांव में प्रस्तावित भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 4.245 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42882/2019

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/मा. चि./ न. क्र.–128/ 354 दिनांक 07.03.2020

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा निर्धारित पार्ट–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छ0ग0) ने जशपुर जिले के जशपुर वनमण्डल अंतर्गत 4.245 हे वन भूमि पर **Optical fiber laying** हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म "क" पर मांग किया है, जिसका निरीक्षण वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जा कर फार्म "ख" पर अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण दिनांक 25/02/2020 के आधार पर की गई है। फार्म–ए का पार्ट–1 (आवेदक संस्थान) पार्ट 2 (वनमंडलाधिकारी) एवं आनलाईन टाईम लाईन की 1–1 प्रति में संलग्न हैं।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–** प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/OFC/42882/2019** आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 24000/– जमा कर दिया गया है।	2
3.	**वन क्षेत्र विवरणः–** आवेदित रकबा 4.245 हे0 वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	03–08
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः–** प्रस्ताव में 26.120 हे0 गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	9
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः–** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	10
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः–** वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.एस. द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न।	11

7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्तावः–** प्रपत्र–4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 56 करोड़ 24 लाख रू है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग के राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और बिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।	12–19
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः–** प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	20–22
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः–** प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	23
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः–** इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नही किया गया है।	24
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः–** प्रपत्र–3 (प्रस्ताव पृष्ठ 48–56) पर वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई है।	25–38
12.	**ऐतिहासिक प्रमाण पत्रः–** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	39
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्रः–** संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	40–43
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:–** जिले की कुल वन भूमि रकबा 2752.285 वर्ग कि.मी. है।	44
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:–** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 10 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा 176.148 हे. है।	45
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** जिले में इसी Catagory के कोई प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।	46
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह नहीं है।	47
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रा कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नही किया गया है, तथा कलेक्टर, जशपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	48–49
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्तावन में 0.300 हे0 राजस्व वन भूमि सम्मिलित है तथा कलेक्टर, जशपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	50.52
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरणः–** प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक– **FP/CG/OFC/42882/2019** एवं 24000 रू पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक	53

	संस्थान द्वारा जमा किया गया है।	
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ की अनुसंशाः–** ओ.एफ.सी केबल राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण से नहीं गुजर रहा है।	56

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़